

स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार)
के अधीन
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के
रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

वर्ष-2025

विवरण-पुस्तिका

ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि : 06.02.2026 (10.00 P.M.)

LIST OF DOCUMENTS

प्रमाण पत्रों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक - विवरणी	व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र / अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो।	सम्बन्धित बोर्ड / समकक्ष द्वारा निर्गत।
2.	*जाति प्रमाण पत्र	Non Creamylayer सहित चालू वित्तीय वर्ष में स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
3.	चरित्र प्रमाण पत्र	जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य।
4.	*आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है।)	स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
5.	Income & Assest Certificate to be produced by Economically Weaker Section (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र	Issued by concerned DM / SDM / CO of permanent resident in prescribed proforma. for Current Financial Year. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत।
6.	हाल का खिचा गया फोटोग्राफ	स्वहस्ताक्षरित फोटो।
7.	बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र	स्थायी निवास के अंचाधिकारी द्वारा निर्गत।
8.	स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है।	सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
9.	दिव्यांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र।	प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत।
10.	अनापत्ति प्रमाण पत्र।	नियंत्री पदाधिकारी का अनुशंसा एवं विभाग द्वारा निर्गत।
11.	विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र।	सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत।

* **NOTE** : To be furnished, wherever applicable.

विवरण-पुस्तिका 2025

स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार) के अधीन

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनेल निर्माण

1. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-सं.सं.-17/विविध-01-280/2022-1343(17) दिनांक 16.12.2025 के अध्याचना के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) के लिए पैनेल निर्माण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

(क) पदों की कोटिवार संख्या : कुल पदों की संख्या-1445 हैं। जिसकी विवरणी निम्नवत् है;

क्रम कोटि	रिक्त की संख्या	महिला आरक्षण 35%
(1) अनारक्षित (UR)	582	204
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC)	264	92
पिछड़ा वर्ग (BC)	165	58
अनुसूचित जाति (SC)	225	79
अनुसूचित जनजाति (ST)	017	06
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	145	51
पिछड़े वर्गों की महिला (RCG)	047	-
(2) स्वतंत्रता संनारियों के पोता/ पोती/ नाती/ नातीनी के लिए आरक्षित (FF) (2%)	29	-
(3) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (DQ) (4%) :		
(i) दृष्टि बाधित (VI)	14	-
(ii) अस्थि दिव्यांग (OH)	15	-
(iii) मूक बधिर (DD)	15	-
(iv) मनोविकार / बहुदिव्यांगता (MD)	14	-

वेतनमान : टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरान्त योगदान की तिथि से जूनियर रेजिडेंट को 65000/- (पैसठ हजार) रुपया प्रति माह (मानदेय) अनुमान्य है। इसके अलावे किसी भी प्रकार का भत्ता / भविष्य निधि अथवा निवृत्त वेतन कोष लागू / देय नहीं होगा।

कर्तव्य : राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में चिकित्सीय कार्य ।

(ख) **शैक्षणिक योग्यता** :

भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता / अनुमति प्राप्त एम.बी.बी.एस. डिग्री।

1.1 **राष्ट्रीयता** :

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

1.2 **आयु-सीमा** :

सामान्य प्राशासन विभाग के संकल्प संख्या-294 दिनांक 07.01.2016 के आलोक में निर्धारित उम्र की सीमा की गणना दिनांक 01.08.2025 के आधार पर की जायेगी ।

अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212 दिनांक 23.01.2006 के आलोक में उम्र सीमा में देय छूट लागू नहीं होगी।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

1.3 **आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति** :

(i) नियुक्ति के लिए ऑन-लाईन आवेदन भेजने की आरम्भिक तिथि तक निर्धारित / लागू आरक्षण संबंधी बिहार सरकार के नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

- (ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को चालू वित्तीय वर्ष का क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे।
- (iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र चालू वर्ष का होना अनिवार्य है।
- (iv) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वे उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण-लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी आवेदन पर विचार भी नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें Unreserved (UR) श्रेणी में माना जायेगा।
- (vi) महिला / दिव्यांग / स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नतिनी / पोता /पोती को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

1.4 दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती / नाती / नतिनी के अन्तर्गत पदों का आरक्षण :-

निम्नलिखित दोनों आरक्षण क्षैतिज होगा।

- i. दिव्यांगजनों के लिए 58 पदें (किसी भी कोटि से 4%) आरक्षित हैं ।
- ii. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतिनी के लिये 29 पदें (किसी भी कोटि से 2%) आरक्षित हैं ।

2. टेन्डोर पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें:

- i. विवरण पुस्तिका के कडिका-1(क) में वर्णित विवरणी के अनुसार रिक्तियाँ इस पैनल से भरी जायेगी।
- ii. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत नियमित चिकित्सक आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- iii. अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों को निम्नरूपेण मूल्यांकन हेतु आवंटित किया जायेगा-
 - (क) सभी एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं के प्राप्तांक के कुल योग के प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक पूर्ण प्रतिशत के लिए 0.8 अंक दिया जायेगा।
(पूर्ण प्रतिशत 0.5 या इससे उपर को माना जाएगा)। - अधिकतम 80 अंक
विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ0एम0जी0ई0) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा।
 - (ख) स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा - अधिकतम 20 / 10 अंक
कुल अधिकतम अंक-100
- iv. जिन आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ix. चयनोपरान्त पदस्थापन सम्बन्धी विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन सम्बन्धी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- xii. काउन्सेलिंग हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

3. मेधा सूची:

- (i) कडिका-2(iii) के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल लब्धांक (Total Marks Obtained)के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।
- (ii) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाले लब्धांक (Total Marks Obtained) बराबर होगा तो मेधाक्रम का निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जायेगा।
 - (क) जिस अभ्यर्थी का कडिका-2.iii(ख) में अधिक अंक प्राप्त हुआ है, उनका मेधाक्रम उपर रहेगा। अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति हो तो
 - (ख) जिस अभ्यर्थी को MBBS Part-III परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुआ है, उसका मेधाक्रम उपर रहेगा। अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति हो तो
 - (ग) जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक हो उसका मेधाक्रम उपर रहेगा।

3. साक्षात्कार शुल्क :

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ : **Rupees 2250/- (Two thousand two hundred fifty).**

5. पर्यद के Website: bceceboard.bihar.gov.in पर जूनियर रेजिडेन्ट की नियुक्ति-2025 की उपलब्ध विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थियों के लिए योग्यता / अर्हता से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है।

Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया : राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) के लिए पैन्ल निर्माण में सम्मिलित होने के लिये विवरण-पुस्तिका पर्यद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। **Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्यद के उक्त वेबसाइट पर जा कर "Online Portal of Junior Resident under Health Dept." Link पर Click करने के पश्चात् "Apply for Junior Resident" Link पर Click करें।** इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

i. **Step-One (Registration) :**

For Registration, candidate will have to fill all the information correctly in the Online Application Form as displayed on the computer screen under Step-1. While registering, the candidate should ensure that he / she uses only his / her own or his / her father / mother's email address and mobile number, because all information related to Registration will be sent to that email and Mobile Number. To verify the Mobile Number and email address provided by the candidate, separate verification code will be sent to both of them. Candidate will have to verify the verification code while registering. **Under no circumstances, the mobile no. and email address will be changed during the entire session after verification of mobile number and email address.** After successful registration the candidate will receive a notification of successful Registration on his / her Registered Mobile Number and email address, as mentioned by him. The candidates will login to their account to fill the Application Form completely online and submit it, for which they will have to login to their account using their Registration No. and Password given during registration and click on the "Sign In" button and complete the further process. The candidates should keep their Password during registration as confidential. The Board will not be responsible for any consequences.

ii. **Step-Two (Multi-Step Application Form) :**

(a) **Personal Information :**

After successful registration, the candidate should again "Sign in" to his account and have to fill the required entries regarding personal information appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(b) **Contact Details :**

After successful completion of Personal Information candidate have to submit their Permanent and Correspondence Address as appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(c) **Educational Information :**

After successful completion of Contact Details candidate have to submit their Educational Information as appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(d) **Upload Photo & Signature :**

After successful completion of Educational Information candidate have to upload the Scanned copy of their highly contrast Colour Photograph and Signature at appropriate place as per the instructions provided on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button. **(For further details kindly refer to the instructions uploaded on application portal regarding Photo & Signature uploading.)**

iii. **Step-Three (Application Preview & Final Submit) :**

Candidates are advised to check their entries provided in Step-1 & Step-2 of the application form and if found any anomalies, click on "Back to Edit" button and rectify it. After rectification click on "Save & Continue" button so that the entries provided by them could get updated.

If all the informations provided during filling of Online Application Form found to be OK on the preview page, click on "Final Submit & Proceed to Payment" button by giving the declaration and pay the Counselling Fee as per instruction provided in Step-Four. If candidates does not do the final submission of the application form and payment of Counselling Fee within prescribed date & time, then their filled up application form will get rejected, for which candidate will be himself solely responsible and no any request will be entertained regarding this.

iv. **Step-Four (Payment of Counselling Fee) :**

After clicking "Final Submit & Proceed to Payment" button, complete the payment procedure

according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee.

Paid Counselling Fee will not to be refunded.

- a. **Online Payment :** Candidate will have to pay the Counselling Fee through Online mode only i.e. Debit Card / Credit Card / Net banking/ UPI, The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.
- b. **Counselling Fee :** Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 2250/- (Two Thousand Two Hundred Fifty) only for Unreserved / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ (PwD) candidates.

Note: (i) If the amount paid as Counselling Fee is debited from your account but the fee transaction fails, then in such case you must re-pay the desired full fee and ensure the payment. If your required Counselling fee do not reflect in Board's account within the due date, your application form will remain incomplete and will be rejected and will be rejected due to which will not be eligible for participating in the counselling process.

Your failed transaction will be refunded to your account in due course.

(ii) Any queries regarding failure of Counselling fee you may contact bangalorepgsd@billdesk.com available on online application portal **or** helpdesk phone number 0612-2220230.

v. **Step-Five (Download Confirmation Page & Fee Receipt) :**

(i) After successful payment of Counselling Fee, candidates are advised to download the Confirmation Page & Fee Receipt and re-verify the entries printed on the confirmation page. **If found any discrepancy it may be corrected during the time of Editing period** as per schedule mentioned in "**Important Dates**". Finally download the Confirmation Page for future use.

(ii) The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have successfully filled their online application form and make the payment successfully within due date.

(iii) For making rectification / correction / editing in online submitted application, the candidate is required to login their account using Registration No. & Password and click on "Sign In" button for getting his account to login where the editing process will be carried out.

Note : a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation policy/ rules / category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application.

- b. Hard copy of Application Form need not be sent to the Board's office, but instead, this is to be made available at the time of counselling.
- c. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.
- d. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refund / chargeback of paid counselling fee will be entertained.
- e. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Banking system. Therefore the candidates must not wait till the last dates and complete all procedure before the due date.

6. जनियर रेजिडेंट की नियुक्ति-2025 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

- | | |
|--|---|
| (i) Online Registration Starting Date | : 16.01.2026 |
| (ii) Online Registration Closing Date | : 06.02.2026 (10.00 P.M.) |
| (iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI and submission of the Online Application Form of Registered Candidate. | : 06.02.2026 (11.59 P.M.) |
| (iv) Online Editing of Application Form | : 07.02.2026 to 08.02.2026 (11.59 P.M.) |
| (v) Date of Publishing / Uploading of Counselling Programme | : 11.02.2026 |
| (vi) Date of Publishing / Uploading of Final Merit List | : To be notified later on. |

7. अपूर्ण रूप से भरा गया Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

8. **अन्य निदेश :**

- i. अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टि अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय होगी । किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा।
- ii. अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा । इसके लिए अभ्यर्थी पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेवार होंगे ।
- iii. किसी उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता / अपात्रता के बिन्दु पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।
- iv. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य

चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

- v. किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत / अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- vi. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बिना कारण बताये पदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- vii. विवरण-पुस्तिका (Prospectus) में उल्लिखित सम्बन्धित किसी भी नियम / सूचना / प्रावधान को संशोधित / विलोपित / परिवर्तित करने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को होगा। ऐसे संशोधन / विलोपन / परिवर्तन को कॉउन्सेलिंग से यथासाध्य पहले या कॉउन्सेलिंग के समय उम्मीदवार को सूचित कर दिया जायेगा।
- viii. इस पैनल निर्माण के सम्बन्ध में किसी विवाद को, उच्च न्यायालय, पटना या पटना स्थित किसी न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।

सूचना एवं पटना स्थित किसी न्यायालय में दायर वाद हेतु नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वाद / प्रतिवाद दायर किया जा सकेगा।

- ix. अगर भूलवश किसी आवेदक / उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में आने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर इस भूल का पता मेधा सूची में सम्मिलित होने के बाद या नियुक्ति के उपरान्त चलता है तो वैसे उम्मीदवार को मेधा सूची में सम्मिलित होने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा या नियुक्ति के उपरान्त भी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक उम्मीदवार का दावा / अधिकार अमान्य होगा।
- x. अगर किसी आवेदक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- xi. Document Verification के समय नीचे अंकित मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की सूची (जो लागू हो) के अनुसार मूल प्रमाण पत्र / अभिलेख के साथ उन अभिलेखों के 1 (एक) सेट फोटो कॉपी लाना आवश्यक होगा;
 - (a). Admit Card / Mark-sheet / Certificate of Matriculation or equivalent.
 - (b). Marks sheet of MBBS (I, II & III Parts) - Including failure marksheets.
 - (c). Passing Certificate of MBBS.
 - (d). Attempt Certificate of MBBS.
 - (e). Marks Sheet / Passing Certificate of FMGE conducted by NBE, if any.
 - (f). Marks Sheet / Passing Certificate of PG Degree / Diploma, if any.
 - (g). Certificate of Ph.D./ DM / DCH, if any.
 - (h). Medical Registration Certificate.
 - (i). Experience Certificate, if any.
 - (j). No Objection Certificate from the employer if the applicant is in service.
 - (k). Residential Certificate issued by C.O. / B.D.O. / Revenue Officer of the concerned area.
 - (l). Current Caste Certificate with Non Creamy Layer duly issued by the D.M. / S.D.O. (Civil) / C.O. / Revenue Officer of the District / Area of his permanent residence in the State of Bihar.
 - (m). Four identical photographs as used in filling online application
 - (n). For Disable Quota candidate, Disability Certificate issued by Competent Medical Board / Authority.
 - (o). Certificate for Economically Weaker Section (EWS) issued by the D.M./ S.D.O. of the District / area of his permanent residence in the State of Bihar.
 - (p). Grand Son / Grand Daughter of freedom fighter quota Certificate issued by proper authority.
 - (q). Any other Certificate apart from the above as per the requirement of the prospectus of appointment for Tenure Post of Junior Resident-2025 under Health Department, Govt. of Bihar.
 - (r). Verification Slip (जाँच-पर्ची) as downloaded from Boards website in 2 copy साक्षात्कार / Document Verification के समय साथ लाना अनिवार्य है।
 - (s). Downloaded print of Online filled **Application Form [Confirmation Page]**.
- xii. मेधा सूची प्रकाशन के उपरान्त कॉउन्सेलिंग में मूल प्रमाण-पत्रों / अभिलेखों आदि की सघनता से जांच की जायेगी। अगर ऐसी जांच में नकली प्रमाण-पत्र होने या अन्य रूप से कदाचार में लिप्त होने का अगर किसी उम्मीदवार को दोषी पाया जायेगा तो उनकी उम्मीदवारी तत्क्षण रद्द एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
